राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/ले.टे./(एफ–1146)/2018/612 दिनांक : 13-11-18

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामो के सम्मुख अकिंत अध्ययन करने की स्वीकृति हेतु अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

क्र. स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान	आयोग/संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1.	सविता कालिया, प्रयोगशाला सहायक	राजकीय जयपुरिया चिकत्सालय, जयपुर	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय	पी.एच.डी (विषय शोध एच.आई.वी. एवं फैमिली अवेयरनेस) स्वयंपाठी
2.	श्री हिमांशु धाकड़, लैब टेक्नीशियन	प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	जे.एन.यू. यूनिवर्सिटी	एम.बी.ए (Distance Programme)
3.	श्री विनोद कुमार थारवान, लैब टेक्नीशियन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर, द्वितीय	विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीटयुट, जयपुर	एल.एल.बी नॉन कॉलेज सत्र 2019–20
4.	श्री अजमल हुसेन, प्रयोगशाला सहायक	प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	NIOS	12th Science-Bio सत्र 2018–19
5.	श्री नवीद अंजुम कुरैशी, प्रयोगशाला सहायक	प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी	B.SC. (Bachelor of Science-Bio Distance Education-2018-19)
6.	श्री संदीप शर्मा, लैब टेक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कास्या (भीलवाड़ा)	VMOU Kota	बीएससी प्रथम वर्ष जून, 2019 परीक्षा
7.	श्री नरेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय लाडनूं, नागौर	जैन विश्व भारती संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी)	बी.ए. प्रथम वर्ष परीक्षा–2018
8.	श्री जेठा राम जयपाल, लैब टेक्नीशियन	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), राजस्थान उदयपुर	एमेटी विश्वविद्यालय, जयपुर	पीएचडी(रसायन शास्त्र) प्रवेश परीक्षा–2018

शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृती स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृती संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरण हो जाता है तो स्वीकृती स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित हाने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

6. अध्ययन स्वीकृती दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृती समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृती/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

नोटः—**उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।**

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

क्रमांक :— ई—33/ले.टे./(एफ—1146)/2018/612 दिनांक : 13-11-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियत्रंक संलग्न चिकित्सालय।
2. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), राजस्थान उदयपुर
3. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. संबंधित प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र प्रभारी अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।